

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 103/2023

1. मोहम्मद सतार पुत्र मोहम्मद गफार जाति मुसलमान निवासी बीकानेर हाल 16 बीएलडी ए तहसील खाजूवाला

.....प्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थी

—: आदेश :-

दिनांक :- 12.06.23

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम से चक 16 बीएलडी ए का मु0नं0 54/43 की किला नं0 16,17, 20 ता 25 की 08.00 बीघा क0/अ0क0 भूमि खातेदारी भूमि है। चक 16 बीएलडी में प्रार्थी के मु0नं0 54/43 के किला नं0 21 ता 25 में 2-2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा भूमि में रास्ता अति-आवश्यक है इसलिए प्रार्थी उक्त मुरब्बे के किला नं0 21 ता 25 की 2-2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा भूमि गैरमुमकिन रास्ते हेतु छोड़ना चाहता है एवं निःशुल्क समर्पण का रास्ते में दर्ज करवाना चाहता है जो न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थनापत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी के मु0नं0 54/43 के किला नं0 21 ता 25 की 2-2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु दर्ज करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार वादगत भूमि मोहम्मद सतार पुत्र मोहम्मद गफार जाति मुसलमान निवासी बीकानेर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थनापत्र के साथ सहमतिपत्र अनुसार चक 16 बीएलडी ए के मु0नं0 54/43 के किलानं0 21 ता 25 में दो-दो बिस्वा रकबा रास्ता में समर्पण करवाना चाहते हैं। आमजन की सुविधा को देखते हुवे मु0नं0 54/43 के किला नं0 21 ता 25 में दो-दो बिस्वा रास्ता मन्जूर किया जाना उचित है। बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि चक 16 बीएलडी ए मु0नं0 54/43 किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा में स्थायी सार्वजनिक रास्ता तहसीलदार रिपोर्ट तथा राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 में समस्या सं0 1 समाधान में लिखा है कि "राज्य में अनेक स्थायी रास्ते राजकीय और/व निजी भूमियों में से चालू है किंतु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है। स्थायी सार्वजनिक रास्ते वे हैं जो बारहमासी हैं तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध हैं। ऐसे रास्तों का राजस्व में अंकन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131, एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, एवं 86 के प्रावधानुसार किया जावेगा।

यहाँ पक्षकार को इस निमित्त नियम 58(3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी 31 की प्रति समन द्वारा दी जायेगी। इस रिपोर्ट पर निरीक्षण कर गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। निरीक्षण भू- अभिलेख नियम के मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा। तहसीलदार रास्ते के अंकन हेतु प्रार्थनापत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जो उस पर आदेश देंगे। उपखण्ड अधिकारी के आदेश पर नामान्तरण

के जरिये रास्तों का अंकन लाल स्याही से किया जायेगा। प्रार्थना पत्रों की बहुलताजन्य जटिलता निवारण हेतु यह उचित रहेगा कि एक गांव हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे। राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में खसरा नम्बर सहित दर्ज किया जायेगा। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबन्दी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी " के आधार स्वीकार करते हुवे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट नजरी-नक्शा के आधार पर व राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को आदेश दिये जाते हैं कि चक 16 बीएलडी ए मु0नं0 54/43 किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा रास्ता नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगा तथा तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)